न निर्माता बाबा साहेब डॉ.
जी के महापरिनिर्वाण दिवस

— प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री

आम जनता के लिए खुलेंगे ईएसआईसी
के अस्पताल।

—— संतोष कुमार गंगवार केंद्रीय मंत्री

हर्षवर्धन ने किशनगंज आरयूबी किया जनता को समर्पित

नई दिल्ली (एसएनबी)। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बृहस्पतिवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित किशनगंज अधोगामी पुल (आरयूबी) के प्रथम चरण का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर किशन आरयूबी जनता को समर्पित करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह उन परियोजनाओं में से एक है, जो उनके दिल के काफी करीब है। महापौर आदेश गुप्ता ने कहा कि किशनगंज परियोजना को पूरा होना उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस आरयूबी के बनने से लोगों को यातायात जाम से राहत मिलेगी, खासकर पश्चिमी दिल्ली से मध्य दिल्ली आने वालों को। किशनगंज आरयूबी परियोजना की कुल लागत 41.43 करोड़ रुपए है, जिसे उत्तर रेलवे, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, एनडीपीएल के सहयोग से बनाया गया है। इस कार्य को पूरा होने में लगभग 27 माह का समय लगा।इस मौके पर महापौर आदेश गुप्ता, उपमहापौर राजेश लावड़िया, स्थायी समिति अध्यक्ष वीना विरमानी, सदन नेता तिलकराज कटारिया, निर्माण समिति अध्यक्ष अलोक शर्मा, स्थानीय निगम पार्षद जय प्रकाश, क्षेत्रीय उपायुक्त रुचिका कत्याल आदि उपस्थित थे।

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के
विनियम 31(2) के साथ पठित विनियम 12 के अधीन]

मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के हितधारकों के ध्यानार्थ

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 31 के अनुसरण में एतद्द्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के हितधारकों की सूची माननीय एनसीएलटी, प्रधान पीठ के पास 04 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत की जा चुकी है।

हितधारकों की सूची, जिसमें परिसमापक द्वारा समय समय पर स्वीकार की गई राशि का पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, कार्पोरेट देनदार और परिसमापक के आईपीई की वेबसाइटस पर निम्नलिखित लिंक्स पर देखी जा सकती है :

"http://www.arck.in"
"http://www.mbil.com"

हितधारकों को इसके अतिरिक्त अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, प्रधान पीठ के पास प्रस्तुत की गई हितधारकों की सूची में प्रविष्टि का कोई भी संशोधन केवल माननीय एनसीएलटी, प्रधान पीठ को आवेदन देकर ही किया जा सकता है।

हस्ता./–
अनिल कोहली
मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के मामले में परिसमापक
रजि. नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P00112/2017-18/10219
एआरसीके समाधान प्रोफेशनल्स एलएलपी
409, अंसल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
ई–मेल : insolvency@arck.in

तिथि : 07–12–2018
स्थान : नई दिल्ली

भारत व ईरान की कला पर जामिया में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

नई दिल्ली (एसएनबी)। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और ईरान कल्चर हाउस से मिलकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का इंडिया-अरब कल्चर सेंटर भारत और ईरान की कला एवं वास्तुकला 'परंपरा : समानता एवं विविधिता विषय पर 5 दिसम्बर से तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कर

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd.
(formerly known as DHFL Vysya Housing Finance Ltd.)

कॉरपोरेट ऑफिस: 201, रहेजा पोईन्ट-1, एसवीसी बैंक के पास, वकोला, नेहरू रोड, सांताक्रूज (पूर्व) मुम्बई-400055
गाजियाबाद शाखा कार्यालय:तृतीय तल- पीछे का हिस्सा,शरनम प्लाजा, सी-53-बी, आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद-201002 (उ.प्र.)201002 मो. नं. 8800229223

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट IV (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एण्ड रिकस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13(12) के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने में के लिए ऋणकर्ताओं/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (यें) जारी की थी। ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अतंर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओं)/प्रतिभूतिकर्ता (ओं) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिग्रहण कर लिया है। धरोहर सम्पत्ति के एवज में सम्पत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ता ध्यान देवें। ऋणकर्ता को विशेष रूप से एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक-रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं सम्पत्ति के